



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20333

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1172/2026

लखन सिंह यादव.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ और 4 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:लाल मणि सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:अतिरिक्त सालिसिटर जनरल-1, शिव कुमार पाल

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लाल मणि सिंह और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस0के0 पाल को सुना गया।
2. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि यह रिट याचिका विचारणीय नहीं हो सकती, विशेष रूप से तब, जब रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि वह 'सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल' के पद पर तैनात है और वह रेलवे से राहत की मांग कर रहा है; अतः रिट याचिकाकर्ता के पास ए0टी0 अधिनियम, 1985 की धारा 19(5) के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में जाने का एक वैकल्पिक और प्रभावी उपाय उपलब्ध है।
3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस कानूनी स्थिति का खंडन नहीं कर सके।
4. तदनुसार, इस रिट याचिका का निस्तारण इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता उस अधिकरण के समक्ष कार्यवाही शुरू कर सकता है, जिसके पास इस मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

आशु

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”